भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल विषयों की सूची

भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़कें और पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।

भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के दायरे में निम्नलिखित कार्यात्मक वस्तुएँ रखी गई हैं:

1. कृषि विस्तार सहित कृषि
2. भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबन्दी एवं मृदा संरक्षण।
3. पशुपालन, डेयरी और मुर्गीपालन
4. मत्स्य उद्योग
5. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं वाटरशेड विकास
6. सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी
7. लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल है

8. लघु वनोप

9. पीने के लिए सुरक्षित पानी

10. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग

11. ग्रामीण आवास

12. ईंधन और चारा

13. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें बिजली का वितरण भी शामिल है

14. सड़क, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन

15. प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा

16. ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत

17. तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा

18. वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा

19. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

20. सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव

21. विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्गों का कल्याण

22. सामाजिक कल्याण, जिसमें विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांगों का कल्याण भी शामिल है

23. परिवार कल्याण

24. महिला एवं बाल विकास

25. बाज़ार और मेले

26. अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और औषधालयों सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता

27. सांस्कृतिक गतिविधियाँ

28. पुस्तकालय

29. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

यह आशा की जाती है कि भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल विषयों को ग्रामीण भारत के विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।